राजस्थान सरकार
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)
पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 7/2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/32
दायर दिनांक– 29.3.2023
निर्णय दिनांक– 19.6.2024

उनवानी–

1. काली पुत्री बालूराम
2. रतनी पुत्री बालूराम
3. मतिया पुत्री बालूराम नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता छोटी देवी पत्नि बालूराम
4. सुनिल पुत्र बालूराम नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता छोटी देवी पत्नि बालूराम
   सर्वजाति जाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम निटूटी तह0 रूपनगढ़।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. बालूराम पुत्र स्व. हुक्मा जाति जाट निवासी ग्राम निटूटी तह0 रूपनगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
3. उप पंजीयक रूपनगढ़

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–: 1 श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है परन्तु वाद के निस्तारण में समय लगना स्वाभाविक होने के कारण यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की जायन्दा सन्तान पुत्रियां पुत्र होकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण के दादा हुक्मा पुत्र रामा के नाम की संयुक्त खातेदारी की आराजी ग्राम निटूटी पटवार हल्का निटूटी भू0अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़ जिला अजमेर के वर्तमान जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड अनुसार खाता संख्या 116 के ख0न0 342 रकबा 1.8526 है0 , ख0न0 376 रकबा 1.5047 है0, ख0न0 377 रकबा 0.0809 है0, ख0न0 378 रकबा 0.6714 है0, ख0न0 379 रकबा 1.3753 है0, ख0न0 380 रकबा 4.9591 है0 कुल खसरा 6 कुल रकबा 10.4440 हैक्टेयर है जिसमें प्रार्थीगण के दादा हुक्मा पुत्र रामा का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदारी में दर्ज था एवं प्रार्थीगण के दादा हुक्मा पुत्र रामा के फोत होने के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1018 दिनांक 22.9.2015 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम हिस्सा 1/8 हिस्सा इन्द्राज होकर उक्त आराजी पैतृक है जो प्रार्थीगण के दादा से अप्रार्थी संख्या 1 को हिस्सा 1/8 विरासत से प्राप्त हुई है। इस कारण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्रार्थी का उक्त वाद वर्णित आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा में हक हिस्सा अधिकार निहित है इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में प्रत्येक प्रार्थी का 1/40 हिस्सा अर्थात संयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 1/40 हिस्सा निहित है। इस प्रकार प्रार्थीगण उक्त आराजी में अपना संयुक्त हिस्सा 4/40 अर्थात 1/10 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियमों के तहत प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी में हित, स्वत्व, निहित होने से खातदोरी उद्घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसके लिए अलग से वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 की जायन्दा संताने है । अप्रार्थी संख्या 1 नशे का आदी है जिसके कारण वह उक्त आराजी का नशे की लत के कारण अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। प्रार्थीगण बालिग एवं नाबालिग है वह प्रार्थीगण के हितो का ध्यान नही रखता है, न ही प्रार्थीगण के शिक्षा, दीक्षा पालन–पोषण का ध्यान रखता है। प्रार्थीगण के अधिकार की पैतृक आराजी को अवैध रूप से बैचान करने पर आमादा हो रहा है एवं अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से की जमीन को खुर्द बुर्द करने, प्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अधिकार की कृषि भूमि से वंचित करने, बेदखल करने पर आमादा हो रहा है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी पैतृक सम्पति होने के कारण प्रार्थीगण का उक्त

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

आराजी में जन्म से हक, हित, अधिकार, स्वत्व निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस आशय से पावन्द किया जावे कि उक्त आराजी का रहन, बैयान, हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द नहीं करे। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को पावन्द फरमाया जावे जिससे प्रार्थीगण के अधिकार सुरक्षित रह सके। वाद वर्णित आराजी में अन्य राहखातेदार है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से अनुतोष चाहा गया है इस कारण प्रार्थना पत्र में सहखातेदारों को पक्षकार संयोजित नही किया गया है।उक्त आराजी में सम्पूर्ण कृषकीय कार्य प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किये जा रहे है एवं कब्जा काश्त भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 का एवं अन्य राहखातेदारान का है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण के पूर्वज दादा की होने से पैतृक आराजी है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से स्वत्व, हित अधिकार निहित है।

प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 4/40 हिस्सा पर अप्रार्थी संख्या 1 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा तामूल वाद निर्णय तक पावन्द फरमाई जावे कि उक्त वर्णित आराजी का रहन, बैचान, बख्शीश, वसीयत, दान आदि के द्वारा हस्तान्तरण भारयुक्त नही करेएवं प्रार्थीगण के प्राप्त हिस्से में कृषकीय कार्य व उपयोग, उपभोग में अप्रार्थी संख्या 1 व उसके एजेन्ट, चाकर द्वारा व्यवधान कारित नही करे एवं अप्रार्थी संख्या 2 राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे, नामान्तरकरण दर्ज नही करे एवं अप्रार्थी संख्या 3 रहन, बैचान,बख्शीश, वसीयत, दान आदि अन्तरण, हस्तान्तरण के किसी भी तरह के दस्तावेज पंजीयन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा पेश किये जाने पर उसका पंजीयन नही करे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नाटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए वाद वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार होने के कथन किये। वकील प्रार्थी ने वाद वर्णित पैतृक, पुश्तैनी भूमि में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु निवेदन किया ताकि उक्त भूमि का किसी प्रकार का कोई बैचान, रहन आदि न हो सके। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया व वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा पत्रावली के साथ संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि संवत् 2072–75 (खाता संख्या 116) एवं जमाबंदी प्रतिलिपि संवत् 2068–2071 का अवलोकन किया गया जिससे स्व. हुक्मा वल्द रामा के विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1018 दिनांक 22.9.2015 से बालूराम पुत्र हुक्मा को खातेदारी विरासत से प्राप्त होना जाहिर होता है।

अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट होते है। वादग्रस्त भूमि के बैचान/अन्तरण होने से वाद बाहुल्यता की संभावना को देखते हुए अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट होता है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि के बैचान, रहन, अन्तरण आदि नही करने व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को वादग्रस्त भूमि ग्राम निटूटी खाता संख्या 116 के ख0न0 342 रकबा 1.8526 है0 , ख0न0 376 रकबा 1.5047 है0, ख0न0 377 रकबा 0.0809 है0, ख0न0 378 रकबा 0.6714 है0, ख0न0 379 रकबा 1.3753 है0, ख0न0 380 रकबा 4.9591 है0 कुल खसरा 6 कुल रकबा 10.4440 हैक्टेयर भूमि के पंजीयन नहीं करने एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.6.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी